न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 81/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/241

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

नाथूराम पुत्र भूराजी
जाति मेघवाल निवासी जसोल
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

बनाम

1.दानाराम पुत्र भूराराम के वारिसान
1/1.सुआ पुत्री दानाराम पत्नि चन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी नेहरू कोलानी बालोतरा
1/2.गंगा पुत्री दानाराम पत्नि भटाराम जाति मेघवाल निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
1/3.धापु पुत्री दानाराम जाति मेघवाल निवासी जागसा तहसील पचपदरा
1/4.बबरी पत्नि दानाराम जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा
1/5.संतोष पुत्री दानाराम जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा
2.मोहन पुत्र ताराराम जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा
3.पुखराज पुत्र ताराराम जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा
4.चनणी बेवा ताराराम जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा
5.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा

<u>**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**</u>

<u>उपस्थितिः–</u>

1.श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता वादी
2.श्री खुशहालराम पटेल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5
3.प्रतिवादी संख्या 2 स 5 एकतरफा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

दिनांक 09.02.2026

1.संक्षिप्त मे वाद–पत्र के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि मुतवफी भूराराम की पैतृक आवगी खातेदारी भूमि ग्राम खेड़ की खसरा संख्या 434 रकबा 22.13 बीघा भूमि अवस्थित थी। इसी ग्राम में खसरा संख्या 401 रकबा 50.17 बीघा भूमि भूराराम व तारीया वल्द वेहना की सयुंक्त खातेदारी में अवस्थित थी। जिसमें 1/2 हिस्सा भूराराम व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 से 04 के वालिद ताराराम का था। मुतवफी भूराराम के दो पुत्र वादी (नाथूराम) व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के पिता/पति दानाराम थे तथा धर्मी भूराराम की पत्नि थी,जिसका देहान्त हो गया हैं। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियो पर भूराराम व उसके वारिसान का सुंयक्त रूप से कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के पिता/पति दानाराम संयुक्त रूप से एक ही मकान में रहते थे। भूराराम के फौत के समय वादी (नाथूराम) की उम्र लगभग 01 वर्ष थी, प्रतिवादी दानाराम ही घर का कर्ता–धर्ता था। भूराराम की फौतदगी नामान्तकरण में वारिसान् में वादी (नाथूराम) व प्रतिवादी दानाराम व पत्नि धर्मा के नाम नामान्तकरण भरा जाना चाहिए था,लेकिन वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी दानाराम ने अपना नाम दावर करवा दिया और वादी को उसमें हक हकूको से वंचित रखा गया,जबकि वादी का वादग्रस्त भूमियों पर आंदिनाक कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। अतः वादी द्वारा ग्राम खेड़ की खसरा संख्या 434 रकबा 22.13 बीघा भूमि में 2/3 हिस्सा व खसरा संख्या 401 रकबा 50.17 बीघा भूमि में 2/6 हिस्सा खातेदारी घोषित करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद पत्र पेश किया गया हैं।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री खुशहालराम पटेल द्वारा प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से वकालतनामा पेश कर जवाबदावा पेश किया गया तथा वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 जरिए अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा पेश किए जाने के उपरांत उपस्थित नही दिए जाने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 भी बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवी पारित की गई।

3.प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवादयक विरचित किए गएः–

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तनकी संख्या 1:—आया वादी सरहद मौजा खेड़ के खेत खसरा संख्या 434 रकबा 22.13 बीघा म 2/3 हिस्सा एवं खेत खसरा संख्या 401 रकबा 50.17 बीघा मे 2/6 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है ? (जिम्मे—वादी)

तनकी संख्या 2:—आया वादी विवादित भूमि के संबघ मे प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेघाज्ञा पाने का अधिकारी है ? (जिम्मे—वादी)

तनकी संख्या 3— अनुतोष

4.वादी की ओर से वाद—पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य गवाह में PW.01 नाथूराम द्वारा बयानात् कलमबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01—वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 434 व 401 की जमाबंदी संवत 2012—2015 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 02—वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी सवंत 2016—2019 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 03—वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 434 की जमाबंदी सवंत 2061—2064की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 04—वादग्रस्त भूमि खसरा संख्यस 434 व 401 की जमाबंदी सवंत 2061—2064 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 05—वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 401 की जमाबंदी सवंत 2061—2064 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 06—नक्शा ट्रेस खसरा संख्या 401,434 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 07—आपसी इकरारनामा वादी व प्रतिवादी दानाराम के बीच हुआ था,की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 08—दानाराम द्वारा बेचान प्लॉट उर्मिलादेवी की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 09—आपसी राजीनामा सुआ पुत्री दानाराम व वादी नाथूराम के बीच की प्रति प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहान में DW-01 बबरी पत्नि दानाराम द्वारा बयानात कलमबद्व करवाए गए।

5.हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। वक्त बहस वादी अधिवक्ता नें वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि मुतवफी भूराराम के दो पुत्र वादी (नाथूराम) व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के पिता/पति दानाराम थे। धर्मी भूराराम की पत्नि थी,जिनका देहान्त हो गया हैं। इस प्रकार भूराराम के वारिसान् में नाथूराम व दानाराम हैं। भूराराम की पुश्तैनी खेत ग्राम खेड़ तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 434 रकबा 22.13 बीघा भूमि आवगी खातेदारी में वक्त सेटलमेंट दर्ज थी। इसी ग्राम की खसरा संख्या 401 रकबा 50.17 बीघा भूमि भूराराम व प्रतिवादी संख्या 02 से 04 के पिता ताराराम की सयुंक्त खातेदारी में वक्त सेटलमेंट दर्ज हुई थी, जिसमें 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी दानाराम के पिता भूराराम का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 से 04 के पिता ताराराम का थ। इसी हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा—काश्त चला आ रहा हैं। भूराराम के फौत के समय वादी की उम्र लगभग 01 साल ही थी। वादी का भाई दानाराम बडा था तथा घर का बड़े होने के कारण घर का कर्ता—धर्ता था और घरेलु आवश्यकता के कार्य प्रतिवादी दानाराम द्वारा ही किए जाते थे। भूराराम के फौत पर उसके वारिसान् में दो पुत्र वादी नाथूराम व

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/ 5 के पिता/पति दानाराम व इनकी माता धर्मी थी,इनके नाम नामान्तकरण दायर होना चाहिए था,लेकिन दानाराम ने वादी के नाबालिग होने का गलत फायदा उठाते हुए वादग्रस्त भूमिया अकेले अपने नाम दर्ज करवा दिया गई,जबकि पुश्तैनी भूमि में भूराराम के वारिस नाथूराम, दानाराम व धर्मी तीनो का नाम दायर किया जाना चाहिए था। लेकिन वादीगण को उसके हक हकूको से तत्समय महरूम रखा गया है,जबकि वादी व प्रतिवादी दानाराम अपनी माता धर्मी के साथ एक ही समान में सयुंक्त रूप से रहते थे। तत्समय उक्त नामान्तकरण भरवाने के कारनामे का वादीगण को पता नहीं चला था। वादी के बालिग होने पर वादग्रस्त भूमियों में वादी का नाम दर्ज नहीं होने का पता चलने पर, प्रतिवादी दानाराम को कहने पर उन द्वारा भी स्वीकार कीया गया कि वादग्रस्त भूमियों में भूलवंश वादी का नाम दर्ज करने से रह गया हैं और वादग्रस्त भूमियों में वादी का हक होने के कारण आपसी इकरारनामा की लिखत की गई,लेकिन राजस्व रेकर्ड में इसकी पालना नहीं करवा गई। जबकि वादी का अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन कीया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व माता धर्मीदेवी सयुंक्त रूप से एक समान में रहते थे। तत्पशचात् दोनो ने मकान के दो भाग कर अलग–अलग निवास करने लगे। प्रतिवादी दानाराम ने अपने हिस्से का मकान उर्मिलादेवी पत्नि सोहनलाल को बेचान किया गया,जिसमें वादी का पड़ौस भी दर्ज कर रखा हैं। इस प्रकार वादी का खसरा संख्या 401 में पुश्तैनी हक में प्राप्त मकान में निवास चल आ रहा हैं। लेकिन वादी को उसके हक हकूको की प्राप्ति के लिए श्री न्यायालय की शरण लेनी पड़ी हैं। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी हैं,पुश्तैनी भूमि में भूराराम के वारिस वादी व प्रतिवादी दानाराम का बहिस्सा बराबर हक हिस्सा वनता हैं। वादी का मौके पर कब्जा–काश्त भी चला आ रहा हैं,लेकिन रिकॉर्ड में नाम दायर नहीं होने के कारण प्रतिवादी पक्ष आए दिन वादी की कब्जाशुदा भूमि से वेदखल करने की कोशिश करते रहते हैं तथा वादी का कब्जा–शुदा भूमि को बेचान करने की धमकिया दी जाती हैं,यदि ऐसा हो गया तो वादी के साथ अन्याय हो गया,जबकि वादी द्वारा अपने दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से वखूवी साबित किया हैं कि वादग्रस्त भूमिया पुश्तैनी हैं,जिसमें वादी का जन्म से ही हक हिस्सा बनता हैं। अंत मे निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 434 में वादी का 1/2 हिस्सा व खसरा संख्या 401 में वादी को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के साथ सहखातेदार करार देते हुए वादी का 1/6 हिस्सा खातेदारी घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

6. इसके विपरीत प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी का वाद–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य हैं,क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। वादी की ओर से वादग्रस्त भूमि को हड़प

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

करने की नियत से वाद पेश किया गया है,जिसमे सफलता मिलने की कोई गुजाईश नही है। वादी की ओर से वाद–पत्र में भूराराम की वंश वृक्षावली भी गलत बताई गई हैं,क्योंकि भूराराम के दो पुत्रो के अलावा दो पुत्रिया केसी व कांकू हैं, जिन्हे आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद नहीं बनाए जाने के कारण वादी का वाद खारिज योग्य है,इसके अलावा हिस्से भी गलत बताए गए हैं,जबकि वादीगण का 1/5, 1/5 हिस्सा बनता हैं। भूराराम के देहान्त के समय वादी का जन्म ही नहीं हुआ था,उसके बाद हुआ था। इस कारण एक बार भूमि प्रतिवादी में वेस्ट होने के कारण वह हमेशा के लिए वेस्ट रहती हैं। वादी का यह कथन गलत है,कि वादी व प्रतिवादी सयुंक्त रूप से रहते थे,जबकि सही तथ्य यह है कि प्रतिवादी को घर के बाहर निकाल दिया था। प्रतिवादी भूराराम के भाई अमराराम की भूमि में रहवास करते थे। वादी व प्रतिवादी कभी भी सयुंक्त रूप से रह ही नही हैं,दोनो अलग–अलग निवास करते थे। वादी द्वारा प्रतिवादी के मकान पर अतिक्रमण कर रखा हैं। प्रतिवादी दानाराम द्वारा उर्मिलादेवी को भूराजी का प्लॉट में कुछ हिस्सा बेचान किया था। जिससे नाथुराम के शादी इत्यादि कर कर्ज उतारने के लिए किया गया था। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवदेन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी व प्रतिवादी के बीच किसी प्रकार की आपसी इकरारनामा लिखित नहीं हुए हैं। वादी द्वारा फर्जी तरीके से आपसी इकरारानामा तैयार किया गया हैं। इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारी की घोषणा का वाद श्री न्यायालय में चल नहीं सकता हैं,उसके लिए सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार बनता हैं,इस कारण वादी का वाद श्री न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज किया जावें। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादी की ओर से प्रतिवादी की भूमि को हड़प करने की नियत से वाद पेश किया गया हैं। वर्तमान में भूमि की कीमतो में वृद्धि होंने के कारण वादी प्रलोभन में आकर मनगढन्त तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया हैं,जो चलने योग्य नहीं है,क्योंकि वादग्रस्त भूमियों में वादी का कोई हक हकूक बनता नहीं हैं। प्रतिवादी की ओर से अपने साक्ष्य में साबित किया है कि वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हकूक नहीं हैं। अतं में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियों में वादी का हक हकूक नहीं होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जावें।

7.हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बहस कथनों/तथ्यों एवं प्रदर्शित दस्तावेजात को समाहित करते हुए प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना न्यायसंगत एवं प्रासंगिक है,जो निम्नानुसार है:–

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तनकी संख्या 1:—आया वादी सरहद मौजा खेड़ के खेत खसरा संख्या 434 रकबा 22.13 बीघा मे 2/3 हिस्सा एवं खेत खसरा संख्या 401 रकबा 50.17 बीघा मे 2/6 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है ?

(जिम्मे—वादी)

उक्त तनकीयात को साबित करने का भार वादी पक्ष पर है। वादी की ओर से बयानात व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए। प्रदर्श 1—वादग्रस्त भूमि ग्राम खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 434 रकबा 22.13 बीघा भूमि भूरा वल्द प्रभू कौम भांभी सा.जसोल खातेदार व खसरा संख्या 401 रकबा 50.17 बीघा भूमि भूरा वल्द प्रभू,तारीया वल्द नैना कौम भांभी सा. जसोल खातेदार के जमाबंदी संवत 2012 से 2015 तक मे दर्ज है। प्रदर्श 2—खसरा संख्या 401 व 434 जमाबंदी संवत 2016 से 2019 तक मे कालॅम संख्या 4 मे पूर्व की प्रविष्टि यथावत है तथा कालॅम संख्या 12 से 17 मे भूरा के फौत होने पर दानिया के नाम नामान्तकरण संख्या 13 व 31 के इन्द्राज का विवरण अंकित है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है और पुश्तैनी भूमि मे भूराराम के जायन्दा संतान की बहिस्सा बराबर हक हिस्सा बनता है। यह भी तय है कि भूराराम के वारिसान मे दो पुत्र वादी व प्रतिवादी दानाराम थे तथा भूराराम की पत्नि धर्मी थी। इस प्रकार भूराराम के फौत होने पर उसके वारिसान मे वादी व प्रतिवादी दानाराम व धर्मी का भी फौतदगी नामान्तकरण मे नाम दायर होना चाहिए था,लेकिन तत्समय भूराराम की सम्पति मे दानाराम अकेले के नाम दर्ज की गई,जो कि वादी के साथ कुठराधात किया गया है। प्रतिवादी बबरीदेवी स्वंय द्वारा अपने बयानात मय जिरह मे स्वीकार किया है कि भूराराम के वारिसान मे मेरे पति के अलावा वादी भी वारिस है। इसके अलावा भूराराम की दो पुत्रीया होना का भी उल्लेख किया गया है,लेकिन इस संबध मे कोई दस्तावेजात पेश नही किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी पक्ष स्वंय स्वीकार करता है कि वादी भूराराम का वारिस है,तो पुश्तैनी भूमि मे वादी का हक हिस्सा क्यो नही बनता है,जो कि वादी द्वारा अपने दस्तावेजी साक्ष्यो से साबित भी किया है। इसके अलावा प्रदर्श 7—आपसी इकरारनामा जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के पिता/पति दानाराम के बीच मे लिखत हुए थी,जिसमे इबारत है कि हमारा पुश्तैनी मकान था,जिसका बंटवाड़ा हम दोनो भाईयो ने कर दिया था,उत्तरी भाग नाथूराम के भाग मे बंट आया था और दक्षिणी भाग दानाराम के बंट मे आया था। इसके वादग्रस्त भूमियो मे दानाराम द्वारा वादी का भी हक हिस्सा होना स्वीकार किया है। इससे प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमिया पुश्तैनी है,जो भूराराम की आवगी व संयुक्त खातेदारी मे दर्ज हुई थी तथा भूराराम के दो पुत्र वादी व प्रतिवादी दानाराम थे। भूराराम के फौत के समय वादी नाबालिग होने के कारण दानाराम अकेले के नाम भूमिया दर्ज हो गई थी,केवलमात्र राजस्व रेकर्ड मे नाम दायर नही होने मात्र से काश्तकार के हक हकूक समाप्त नही हो जाते है,क्योकि भूराराम की

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सम्पति मे उसके वारिसान वादी व प्रतिवादी दानाराम का बहिस्सा बराबर हक हिस्सा बनता है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रदर्श 7—की ऐसी लिखत दानाराम द्वारा नही किया जाना बताया गया,जो कि तर्क स्वीकार योग्य नही है,क्योंकि उन द्वारा केवलमात्र मौखित कथन किया गया है,मौखिक कथन के आधार पर लिखत दस्तावेजात की वैधानता को अस्वीकार नही किया जा सकता है। जब तक की उक्त दस्तावेजात को सक्षम न्यायालय द्वारा रद्व अथवा खारिज नही किया गया हो,जो कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नही किया गया है। इसी प्रकार प्रदर्श 8—जो कि दानाराम द्वारा पुश्तैनी मकान क्रेता श्रीमति उमिलादेवी को बेचान किया था,जिसमे पड़ौस उत्तर दिशा मे—नाथूराम पुत्र भूराराम मेघवाल का मकान है,दर्शाया गया है। इससे भी साबित है कि वादी अपने पुश्तैनी मकान जो हिस्से मे बदिशा उत्तर मे आया है,मे निवास करता था,जो कि उसके सगे भाई प्रतिवादी दानाराम द्वारा लेख्य बेचानपत्र मे भी स्वीकार कर रखा है। इस प्रकार यह पूरी तरह से साबित है कि वादग्रस्त भूमियो मे बहिस्सा बराबर वादी का हक हिस्सा बनता है,जो कि हक हिस्सा भूराराम के फौत होने के बाद प्राप्त हो जाना चाहिए था,लेकिन तत्समय वादी को उसके हक हकूको से महरूम रखा गया,जो कि वादी के साथ कुठराघात किया गया था। इस प्रकार वादी अपना हक प्राप्त करने का हकदार है। इसके अलावा प्रदर्श 9—आपसी राजीनामा सुआ पुत्री दानाराम व वादी नाथूराम के बीच हुआ था,जिसमे प्रतिवादी दानाराम की पुत्री सुआदेवी ने स्वीकार किया है कि भूराराम के वारिसान मे मेरे पिता दानाराम व वादी नाथूराम व उसकी पत्नि धर्मो थी,धर्मो का देहान्त हो गया है। इस प्रकार समग्र विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तनकी संख्या 01 वादी साबित करने में सफल रहने के कारण उनके पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2</u>:—आया वादी विवादित भूमि के संबघ मे प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?

(जिम्मे—वादी)

इस तनकीयात को साबित करने का भार वादी पक्ष पर है। चूंकि वादी तनकी संख्या 1 को साबित करने मे सफल रहा है। वादग्रस्त भूमि मे वादी प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के साथ सहखातेदार घोषित होने का हकदार है। वादी की ओर से साक्ष्य सबूतो के आधार पर यह कही साबित नही हो पाया है कि वादी की कब्जाशुदा भूमि मे प्रतिवादी द्वारा दंखलदान्जी की जा रही हो। इसके अलावा सहखातेदार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। ऐसी सूरत मे उक्त तनकी वादी साबित करने मे सफल नही हो पाया है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तनकी संख्या 3– अन्य दादरसी ?

उक्त तनकी पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है,क्योंकि पक्षकार इस्तदुआ से अतिरिक्त परिलाभ प्राप्त करना साबित नहीं कर पाए है।

अनुतोषः–उपयुर्क्त विवचेन के आधार पर न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी वाद–पत्र में कायम तनकी संख्या 01 को साबित करने में सफल रहा है। अतः वादी के वाद–पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 434 रकबा 22.13 बीघा भूमि मे वादी को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के साथ सहखातेदार करार देते हुए 1/2 हिस्सा वादी व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार इसी ग्राम के खेत खसरा संख्या 401 रकबा 50.17 बीघा भूमि मे वादी को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के साथ सहखातेदार करार देते हुए 1/6 हिस्सा वादी को खातेदार घोषित किया जाता है,प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का हिस्सा बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जाना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हों। पक्षकारान अपना–अपना व्यय वहन करें। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर

कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

09/02/2026
(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 09.2.2026 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

09/02/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 81 / 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 241

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
नाथूराम पुत्र भूराजी जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.दानाराम पुत्र भूराराम के वारिसान 1 / 1.सुआ पुत्री दानाराम पत्नि चन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी नेहरू कोलानी बालोतरा 1 / 2.गंगा पुत्री दानाराम पत्नि भटाराम जाति मेघवाल निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 1 / 3.धापु पुत्री दानाराम जाति मेघवाल निवासी जागसा तहसील पचपदरा 1 / 4.बबरी पत्नि दानाराम जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 1 / 5.संतोष पुत्री दानाराम जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा . 2.मोहन पुत्र ताराराम जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 3.पुखराज पुत्र ताराराम जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 4.चनणी बेवा ताराराम जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 5.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद बाबत:–88,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर 81 / 2023
निर्णय दिनांक :–09.2.2026

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादी की ओर से श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से श्री खुशहालराम पटेल अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 एकतरफा इस वाद में आज तारीख 09.02.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वाद वादी अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 434 रकबा 22.13 बीघा भूमि मे वादी को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के साथ सहखातेदार करार देते हुए 1/2 हिस्सा वादी व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार इसी ग्राम के खेत खसरा संख्या 401 रकबा 50.17 बीघा भूमि मे वादी को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के साथ सहखातेदार करार देते हुए 1/6 हिस्सा वादी को खातेदार घोषित किया जाता है,प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का हिस्सा बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जाना सुनिश्चित करे। पक्षकारान अपना–अपना व्यय वहन करें।

यह आज तारीख 09.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया —	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया ———
जोड़	—	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा